

## प्रपत्र-18

**परियोजना विवरण :-** पन्तगौव-चमडखान -शैलापानी मोटर मार्ग का विस्तार(सिमलधार से शैलापानी तक मिलान)

## कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा ।

अधिशायी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0  
रानीखेत

प्रभागीय वनाधिकारी,  
कल्याण वन प्रभाग, रानीखेत

सहायक अभियन्ता  
लो0नि0वि0, लो0नि0वि0  
रानीखेत

वन अधिकाधिकारी रावीखेत  
वन प्रभाग कल्याण

प्रमाणित  
रानीखेत

प्रमाणित  
रानीखेत